

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 467/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय डी/46/बी, नम्बर 307-312, एम्बेशन टॉवर,  
मालन का चौराहा, सुभाष मार्ग सी-स्कीम जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती भारती शर्मा पत्नी श्री विवेक शर्मा  
पता :- अध्यक्ष क्लासेज, 53-54, अंलकार विहार बी, सिरसी रोड, भीणावाला, जयपुर।  
एवं ए-65, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।  
एवं प्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफेयर स्पेसिफ इकोनोमिक जोन, ग्राम  
झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. अध्यक्ष क्लासेज जरिये प्रोपराईटर  
पता :- प्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफेयर स्पेसिफ इकोनोमिक जोन,  
ग्राम झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं 53-54, अंलकार विहार बी, सिरसी रोड, भीणावाला, जयपुर।
3. श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा  
पता :- प्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफेयर स्पेसिफ इकोनोमिक जोन,  
ग्राम झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं ए-65, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।  
एवं मैसर्स पिकसिटी जेम्स एण्ड ज्वेलर्स, चतुर्थ तल, लक्ष्मी टॉवर, एम.आई. रोड, जयपुर।
4. श्रीमती ममता कंवर पुत्री भवानी सिंह  
पता :- प्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफेयर स्पेसिफ इकोनोमिक जोन,  
ग्राम झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।  
एवं ए-65, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री प्रदीप राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.06.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 23.01.2016 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीया श्रीमती भारती शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफेयर योजना, ग्राम झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 600.00 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 16,20,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

ऋणी को दिनांक 17.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूत ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सारफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 16,20,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 15,54,358/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीया श्रीमती भारती शर्मा के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति फ्लेट नम्बर 804, अष्टम तल, प्लॉट नम्बर 650, एटमोसफियर योजना, ग्राम झाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 600.00 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।  
आदेश आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ॥



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला माजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर